भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1272
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

ई-न्यायालय

1272. डॉ. ढालसिंह बिसेन :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

श्री पी.पी. चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ई-न्यायालयों के लिए आवश्यक अवसंरचना के सृजन हेतु नीतिगत पहलों सहित परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति सहित अपेक्षित डिजिटल अवसंरचना वाले न्यायालयों की राज्य-वार और जिला-बार संख्या कितनी है ;

(घ) उक्त न्यायालयों में व्यक्तिगत जानकारी का रख-रखाव किस प्रकार किया जाता है और इसमें सेंध को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) ई-न्यायालय के उपयोग के संबंध में न्यायिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन है। ई न्यायालयपरियोजना को भारत के ई-समिति उच्चतम न्यायालय के सहयोग से न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ई न्यायालयपरियोजना का चरण I, 2011-2015 के बीच कार्यान्वित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था। ई न्यायालय परियोजना के चरण I का उद्देश्य बड़े पैमाने पर हार्डवेयर की खरीद और स्थापना करना और नेटवर्क कनेक्टिविटी लैन प्रदान करना था । इसने सीमित ऑनलाइन सेवाओं के साथ राष्ट्रीय ई न्यायालयपोर्टल का प्रचालन किया । परियोजना का चरण II 2015-2023 से बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ई न्यायालयचरण II में न्याय को सुलभ और सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की है: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) परियोजना के अधीन, 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ भारत भर में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिन्हित 2994 में से 2977) को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई न्यायालयपरियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी व्यक्ति 24.79 करोड़ से अधिक मामलों और 24.53 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (02.01.2024 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी तक पहुंच सकते हैं।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) के आधार पर केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और कोर्ट यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह उपकरण मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में मदद करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारियों को तत्काल मामलों को बनाए रखने और मामलों को स्थगित करने में समर्थ बनाया जा सकेगा, जो हेतुक सूची में अत्यावश्यक नहीं हैं। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है।

v. ई न्यायालयपरियोजना के हिस्से के रूप में, केस की स्थिति, हेतुक सूची, निर्णय आदि पर एसएमएस पुश और पुल (4,74,371 एसएमएस प्रतिदिन भेजा गया), ईमेल (6,06,818 प्रतिदिन भेजा गया), बहुभाषी और स्पर्श ई न्यायालयसर्विसेज पोर्टल (35 लाख हिट्स दैनिक), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/वादकारियों कोवास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अलावा, अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल ऐप (31.12.2023 तक कुल 2.15 डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप (31.12.2023 तक 19,461 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) बनाए गए हैं।

vi. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सुनवाई करने में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 31.12.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 82,76,595 मामलों (कुल 3 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 04.01.2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6,24,427 सुनवाई की। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाओं को भी समर्थ किया गया है। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीसी केबिन और वीसी उपकरणों के लिए निधि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दिया गया है, इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

viii. ट्रैफिक चालान मामलों को संभालने के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25 वर्चुअल न्यायालयों का प्रचालन किया गया है। 4.24 करोड़ से अधिक मामलों को 25 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा संभाला गया है और 47 लाख से अधिक (47,51,482) मामलों में । 31.12.2023 तक 492.79 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है ।

ix. नए ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 3.0) को अपग्रेड सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए आरंभ किया गया है। प्रारूप ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों में परिचालित किए गए हैं। कुल 21 उच्च न्यायालयों ने 31.12.2023 को ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अंगीकृत किया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और शास्तियां शामिल होते हैं जो सीधे संचित निधि को देय होते हैं। कुल 21 उच्च न्यायालयों ने अपनी संबंधित अधिकारिता में ई-भुगतान कार्यान्वित किया है। न्यायालय फीस अधिनियम को 23 उच्च न्यायालयों में 31.12.2023 तक संशोधित किया गया है।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, अधिवक्ता या वादकारी को सुविधा प्रदान करने के आशय से 880 ई-सेवा केंद्रों को आरंभ किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई न्यायालयसेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है। यह समय की बचत करने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाओं की पेशकश करके लागत की बचत करने, आभासी रूप से सुनवाई करने, स्कैनिंग, ई न्यायालयसेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ प्रदान करेगा।

xii. प्रौद्योगिकी सक्षम आदेशिका की तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एंड ट्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरंभ की गई है। वर्तमान में इसे 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

xiii. "एक नया ""निर्णय खोज"" पोर्टल खंडपीठ द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, निर्णय: तारीख से, तारीख और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है।" यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को आयोजित अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई न्यायालयचरण-III को मंजूरी दी । तत्पश्चात्, वित्त मंत्रालय द्वारा आकस्मिक निधि से ई न्यायालयचरण III के लिए 225 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से रु। बीएसएनएल और एनआईसी को 102.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 110.24 करोड़ रुपये विभिन्न उच्च न्यायालयों को स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, ई-सेवा केंद्र, मौजूदा और नए सेटअप कोर्ट के लिए आईटी हार्डवेयर, सोलर पावर बैकअप आदि के लिए उप-आबंटित किए गए हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के रूप में 600 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। ई न्यायालय चरण III में आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार; पेपरलेस कोर्ट; जिला अस्पतालों को कवर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार; न्यायालय की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग और वर्चुअल न्यायालयों के दायरे के विस्तार हेतु परिकल्पना की गई है । "परियोजना एक "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी।" रजिस्ट्रियों में बेहतर निर्णय लेने और नीति योजना बनाने की सुविधा के लिए कम डेटा प्रविष्टि और न्यूनतम फ़ाइल संवीक्षा होगी। इस प्रकार ई न्यायालयचरण-III देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ती और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में एक परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। देश में ई न्यायालयके कार्यान्वयन का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा उपाबंध-1 में संलग्न किया गया है।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति के एस पुत्तास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ ने अभिनिर्धारित किया है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा शासित स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। गोपनीयता के अधिकार, सूचना के अधिकार और डेटा सुरक्षा को संतुलित करने के लिए, ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों से मिलकर एक उप-समिति का गठन गोपनीयता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव देने/सिफारिश करने के लिए किया गया है। उप-समिति को डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए समाधान देने के लिए ई न्यायालयपरियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से परीक्षण और निर्धारण करने के लिए अधिदेश किया गया है। डेटा और साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं पहले से ही विद्यमान हैं :

• ई न्यायालय चरण II में, केंद्रीय रूप से विकसित और केंद्रीय अवसंरचना पर होस्ट किए गए सार्वजनिक उपयोग एप्लीकेशन को सुरक्षित अनुप्रयोग और अवसंरचना के लिए उनके व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ध्यान रखा जाता है।

• इन एप्लीकेशन की समय-समय पर एनआईसी द्वारा सीईआरटीआईएन सूचीबद्ध विक्रेता के माध्यम से लेखा परीक्षा की जाती है।

• ई-कॉर्ट एप्लीकेशन और अवसंरचना की व्यापक साइबर सुरक्षा संपरीक्षा ई-समिति के मार्गदर्शन में पूरी की गई थी।

(ङ) : ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, न्यायिक कर्मचारियों के लिए मई 2020 से दिसंबर 2022 तक आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम नीचे सारणी में दर्शित हैं।

वर्ष	प्रशिक्षणों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
मई 2020-दिसंबर 2020	15	70960
जनवरी 2021- दिसंबर 2021	23	25397
जनवरी 2022- दिसंबर 2022	197	143773

ई-न्यायालय के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 जिसका उत्तर तारीख 09.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

देश में ई-न्यायालय के कार्यान्वयन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश।	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	617
3	बंबई	दादरा और नगर हवेली	3
		दमन और दीव	2
		गोवा	39
		महाराष्ट्र	2157
4	कलकत्ता	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14
		पश्चिमी बंगाल	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़	434
6	दिल्ली	दिल्ली	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	28
		असम	408
		मिजोरम	69
		नागालैंड	37
8	गुजरात	गुजरात	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	162
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू -कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख	218
11	झारखंड	झारखंड	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	1031
13	केरल	केरल	484
		लक्षद्वीप	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	24
		तमिलनाडु	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	38
17	मेघालय	मेघालय	42
18	ओडिशा	ओडिशा	686
19	पटना	बिहार	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	30
		हरियाणा	500
		पंजाब	541
21	राजस्थान	राजस्थान	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	271
	कुल		**18735**

****